कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव छ.ग. शासन राजस्व विभाग रायपुर
अधिसूचना धारा 11 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित
प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

कमांक........../भू–अर्जन/2018

रायपुर दिनांक--

भू–अर्जन प्रकरण 14अ/82 वर्ष 2015--16 चुंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि, अनुसूचित के खाने (1) से(5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जावेगा।) की धारा 11 की उपधारा--1 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो को को प्रयोग करनें के लिए प्रधिकृत करता है।

//अनुसूची//

भूमि का विवरण					धारा 11 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा नंबर	रकबा(हें.में)		
1	2	3	4	5	6	7
रायपुर	आरंग	अकोलीकला	650 651/1	0.02हे. 0.04हे.	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी आरंग	आरंग–कलई–खमतराई–भोथल–अकोलीकला–गुखेरा मार्ग चौडीकरण
—॥—	—॥—	—॥—	652	0.01हे.	—॥—	—॥—
—॥—	—॥—	—॥—	653	0.01हे.	—॥—	—॥—
—॥—	—॥—	—॥—	700	0.01हे.	—॥—	—॥—
—॥—	—॥—	—॥—	702	0.04हे.	—॥—	—॥—
—॥—	—॥—	—॥—	703/1	0.02हे.	—॥—	—॥—
—॥—	—॥—	—॥—	703/2	0.01हे.	—॥—	—॥—
—॥—	—॥—	—॥—	703/4	0.01हे.	—॥—	—॥—
—॥—	—॥—	—॥—	705	0.06हे.	—॥—	—॥—
—॥—	—॥—	—॥—	373/3	0.02हे.	—॥—	—॥—
योग			11	0.25हे.	—॥—	—॥—

2–भूमि का नक्शा(प्लांन) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(रा.) आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है।

3–प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही है।

4–प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के प्रयोजन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है, तथा भू–अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

5–प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी(रा.) आरंग जिला रायपुर को पुर्नवास, पुर्नव्यस्थापन, प्रकाशक नियुक्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. बसव राजू एस.)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग रायपुर(छ.ग.)

Scanned with CamScanner

पृ.क. 606 /भू अर्जन/2018 रायपुर दिनांक 31-12-18

प्रतिलिपि :—

1 — सचिव छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2— नियंत्रक, शासकीय मुद्राणालय छत्तीसगढ राजनांदगांव को छ.ग. राजपत्र के भाग—1 में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

3— आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन सूचना पटल में कराया जाकर उसकी एक प्रति भेजनें की व्यवस्था करेंगे। निगम की बैठक में विषय वस्तु के संबंध में चर्चा करनें हेतु।

4— कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग कमांक—1 रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ। अधिसूचना का प्रकाशन 2 सर्वाधिक प्रचलित स्थानीय समाचार पत्र में कराकर तथा सूचना पटल में करावें उसकी एक प्रति भेजनें की व्यवस्था करें। साथ ही समुचित सरकार की वेबसाईड पर भी अपलोड करानें का कष्ट करें।

5— अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं भू—अर्जन अधिकारी आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6— प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. रायपुर को सूचनार्थ। वेबसाईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

7— तहसीलदार आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूंचना का प्रकाशन जिला अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिक निगम संबंधित ग्राम पंचायत/प्रभावित क्षेत्र में ऐसी रीति पुनादी करानें / जो विहित हो सूचना दिया जाकर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें।

8— सचित ग्राम पंचायत अकोलीकला तहसील आरंग को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में कराने हेतु प्रेषित।

9— भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 कंडिका (4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम की अधीन कार्यवाहीयो को पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सूर्जित नही करेगा।

10— भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(5) उप धारा (1) के अधीन सूचना जारी किये जाने के पश्चात धारा 19 के अधीन घोषणा जारी किये जाने के पूर्व यथाविहित भूमि अभिलेखो को अद्यतन करनें की कार्यवाही 1माह अवधि के भीतर संबंधित तहसीलदार पुरा कर जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

(डॉ. बसवराजु एस.)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग रायपुर(छ.ग.)

Scanned with CamScanner